4न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या एल आर ए/ 135/2018

उनवान

1. नारायण सिंह पुत्र भोम सिंह राजपूत निवासी कुचलवाडा , कलॉ, तहसील जहाजपुर , जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध अपर जिला कलक्टर, भीलवाडा, के प्रकरण संख्या 78/2017 निर्णय दिनांक 27.2.2018 एवं तहसीलदार, जहाजपुर के प्रकरण संख्या 534/2016 निर्णय दिनांक 6.3.2017

——

अधिवक्तागण :—

1. श्री रणवीर सिह, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28.9.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर के यहॉ पटवारी पटवार हल्का ऊंचा ने विपक्षी के विरूद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि विपक्षी द्वारा ग्राम कुचलवाडा पटवार हल्का ऊंचा के गैर मुमकिन रास्ता आराजी नम्बर 1078

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रकबा 0.02 बीघा गै.मु.रास्ता भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर मकान निर्माण कर अतिक्रमण किया है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय दिनांक 6.3.2017 द्वारा अप्रार्थी को ग्राम कुचलवाडा पटवार हल्का ऊंचा के गैर मुमकिन रास्ते की आराजी नम्बर 1078 रकबा 0.02 बीघा से तुरन्त बेदखल किये जाने व शास्ति लगान 0.04 का 50 गुना 02/—रूपये अधिरोपित किये जाने के साथ ही अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा में अपील प्रस्तुत की । जहॉ बाद विचारण अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपील प्रकरण संख्या 78/2017 दर्ज कर बाद विचारण निर्णय दिनांक 27.2.2018 को अपीलार्थी की अपील खारिज की । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की ।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि ग्राम कुचलवाडा में अपीलार्थी की आराजी नम्बर 1085, 1086 संयुक्त खातेदारी व आराजी नम्बर 1081, 1084,1087 अन्य आराजियात के साथ स्थित है। जो आता चाह नम्बर 1085 व 1086 से पीवल होता है, तथा उसके आगे आराजी नम्बर 1078 रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिस पर पक्की सडक का निर्माण दिनांक 2.10.2002 को कराया जाकर दोनों ओर रास्ते के पक्की नालियों का निर्माण हो रखा है व रास्ता 20 फीट मौके पर खुला होकर सार्वजनिक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उपयोग उपभोग में चला आ रहा है व आम आवाजाही हो रही है अपीलाण्ट ने विगत 20 वर्षो से कोई निर्माण कर मकान नहीं बनाया है , राजनैतिक द्वेषतावश पटवारी हल्का ने बिना किसी आधार के अपीलाण्ट के खिलाफ मोगम रिपोर्ट पेश कर मकान निर्माण की रिपोर्ट तैयार की । किसी जांच व निर्माण दिनांक का हवाला दिये बिना ही तथ्यो के विपरीत कार्यवाही प्रारंभ कर दबाव में आकर विधि की अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने विधि व तथ्यों को समझे बिना व रेकार्ड को देखे बिना ही मनमकसूद तरीके से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । जबकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/विपक्षी ने जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया था कि मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं है । अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की विधिक जांच नहीं कराई कि मौके पर बना मकान कितना पुराना है, रास्ते पर किस प्रकार अतिक्रमण किया गया है, उसके बावजूद प्राकृतिक न्याय व वास्तविकता से परे जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खातेदार को अपने खाते की भूमि पर विकास कार्य करने का कानूनन अधिकारिता प्रदान की गई है । उस प्रावधान की अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो खारिज योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाड़ा

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड को देखने से ही स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा मौका फोटू व पंचायत द्वारा 2002 में किये गये कार्यो का प्रमाणन रेकार्ड प्रस्तुत किया उसका विवेचन कर देखने व समझे बगैर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट ने किस प्रकार अतिक्रमण किया है , का कोई पर्चा मौका व जांच प्रतिवेदन ही पेश नहीं किया है उसके बावजूद अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

8. अधिवक्ता प्रत्यर्थी का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अपीलाण्ट ने रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया है। इस बाबत पटवारी हल्का ने अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलाण्ट ने किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलाण्ट का निर्मित मकान मौके पर स्थित सडक के बाद बनी नाली के बाद स्थित है। वह भूमि रास्ते की भूमि नहीं होकर अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि है। इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई मौका रिपोर्ट तलब नहीं की गई है । बिना नपती किये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । जबकि मुस्तकिल बिन्दु से नपती कराई जानी चाहिये थी।

10. पटवारी हल्का कुचलवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम कुचलवाडा की आराजी नम्बर 1078 कुल

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रकबा 2.11 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.02 बीघा भूमि पर मकान निर्माण किया गया है । उक्त अतिक्रमण की रिपोर्ट में अतिक्रमण संवत 2073 का होना अंकित किया है। जबकि अपीलाण्ट का निवेदन है कि उसने अपने खाते की भूमि पर मकान का निर्माण कर रखा है वह भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियमों के प्रावधानों के तहत खाते की भूमि के विकास कार्य करने के लिए निर्माण किया है।

11. अपीलार्थी का यह भी कथन रहा है कि मौके पर सडक बनी होकर उसके बाद नाली बनी हुई है । इस प्रकार रास्ते की भूमि की सीमा नाली तक समाप्त हो जाती है उसके बाद अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि है। जिसमें निर्माण किया गया है। अपीलार्थी ने किसी रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अपने कथन की पुष्टि में मौके की फोटो भी प्रस्तुत की है। बहस में अपीलार्थी का यह भी कथन रहा है कि 500 वर्गगज तक का मकान/बाड़ा बनवाने हेतु खातेदार को भूमि सपरिवर्तन की आवश्यकता नही होती है। उपरोक्त समस्त बिन्दुओ के आधार पर हम प्रकरण में पुनः जांच कर निर्णय लिया जाना उचित समझते है। अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाना है कि अपीलार्थी की खातेदारी की आराजी की मुस्तकिल बिन्दु से नपती करवाई जाकर इस तथ्य की जांच की जावे कि क्या अपीलार्थी का निर्मित मकान अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि में अवस्थित है अथवा रास्ते की भूमि पर निर्मित है। यदि है तो कितनी भूमि पर अतिक्रमण है। इस बिन्दु की जांच अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कराये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

12. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार करं अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर ,भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.2.2018 एवं तहसीलदार जहाजपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6.3.2017 को निरस्त किया जाता है एवं उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के आधार पर वादग्रस्त आराजी नम्बर 1078 किस्म गैर मुमकिन रास्ते की नपती मुस्तकिल बिन्दु से की जाकर पुनः विधिसम्मत कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.11.18 को उपस्थित रहें।

13. निर्णय आज दिनांक 28.9.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

28/9/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते भीलवाड़ा (राज.)